

सामाजिक विज्ञान

(नागरिक शास्त्र)

अध्याय-6: हमारी अपराधिक न्याय प्रणाली



आरोपी

जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं।

संविधान के अनुसार, अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार होता है।

F I R एफ.आई.आर :- सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है।

भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है। किन्तु कई बार सामान्य लोगों द्वारा दी गई सूचना को पुलिस प्राथमिकी के रूप में दर्ज नहीं करती है। ऐसे में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कई व्यक्तियों को न्यायालय का भी सहारा लेना पड़ा है।

न्याय व्यवस्था

पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायधीश, ये चार अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं।

अपराध की जाँच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है ?

पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जाँच करना।

जाँच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं।

सबूतों से आरोपी का दोष साबित दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोपपत्र / चार्जशीट दाखिल कर देती है।

पुलिस हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जाँच करनी चाहिए।

पुलिस को जाँच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है।

आरोपी के अधिकार

अनुच्छेद 22

1. गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है।
2. गिरफ्तारी के 24 घण्टों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार।
3. गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार
4. 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता।
5. पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है?

सरकारी वकील

वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य गवाह और सबूत पेश करे।

सरकारी वकील या अंग्रेजी में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (पी.पी.) का काम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना होता है। अपराधिक मामलों में यही काम सरकारी वकील सरकार के अधीन आने वाली पुलिस द्वारा जुटाए साक्ष्यों एवं गवाहों की सहायता से अदालत में दायर आरोप-पत्र (चार्जशीट; जो प्राथमिकी/ प्रथम सूचना रिपोर्ट/ एफ़.आइ.आर के बाद दायर की जाती है) के आधार पर आरोपी का दोष साबित करते हैं।



न्यायाधीश की भूमिका

वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जाँच करते हैं। मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं

निष्पक्ष सुनवाई

किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया द्वारा निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जाए।

प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, और वैचारिक मान्यताओं के हो, उन्हें संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार दिया जाए।



SHIVOM CLASSES
8696608541

NCERT SOLUTIONS

प्रश्न (पृष्ठ संख्या 76)

प्रश्न 1 पीसलैंड नामक शहर में फिएस्ता फुटबॉल टीम के समर्थकों को पता चलता है कि पास के एक शहर में जो वहाँ से लगभग 40 कि.मी. है, जुबली फुटबॉल टीम के समर्थकों ने खेल के मैदान को खोद दिया है। वहीं अगले दिन दोनों टीमों के बीच अंतिम मुकाबला होने वाला है। फिएस्ता के समर्थकों का एक झुंड घातक हथियारों से लैस होकर अपने शहर के जुबली समर्थकों पर धावा बोल देता है। इस हमले में दस लोग मारे जाते हैं, पाँच औरतें बुरी तरह जख्मी होती हैं। बहुत सारे घर नष्ट हो जाते हैं और पचास से ज्यादा लोग घायल होते हैं।

कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाठी अपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। अब अपनी कक्षा को इन चार समूहों में बांट दीजिए :-

1. पुलिस
2. सरकारी वकील
3. बचाव पक्ष का वकील
4. न्यायाधीश

नीचे दी गई तालिका के दो दाएँ कॉलम में कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। इन जिम्मेदारियों को बाईं ओर दिए गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिलाएं। प्रत्येक टोली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो फिएस्ता समर्थकों की हिंसा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है। ये काम किस क्रम में किए जाएंगे ?

भूमिकाएं	कार्य
पुलिस	गवाहों को सुनना
सरकारी वकील	गवाहों के बयान दर्ज करना
बचाव पक्ष का वकील	गवाहों से बहस करना
न्यायाधीश	जले हुए घरों की तस्वीरें लेना
	सबूत दर्ज करना
	फिएस्ता समर्थकों को गिरफ्तार करना
	फैसला लिखना
	पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करना
	यह तय करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे
	अदालत में गवाहों की जाँच करना
	फैसला सुनाना
	हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जाँच कराना
	निष्पक्ष सुनवाई करना
	आरोपी व्यक्तियों से मिलना

अब यही स्थिति लें और किसी ऐसे विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहें जो फिएस्ता क्लब का समर्थक है। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा ? क्यों नहीं ? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग - अलग भूमिका निभानी चाहिए ? दो कारण बताएँ ।

उत्तर -

पुलिस -	<ul style="list-style-type: none"> • फिएस्ता समर्थकों को गिरफ्तार करना। • जले हुए घरों की तस्वीरें लेना। • हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जाँच करना।
---------	---

सरकारी वकील -	<ul style="list-style-type: none"> • अदालत में गवाहों की जाँच करना।
बचाव पक्ष का वकील -	<ul style="list-style-type: none"> • आरोपी व्यक्तियों से मिलना। • गवाहों से बहस करना। • पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करना।
न्यायाधीश -	<ul style="list-style-type: none"> • निष्पक्ष मुकदमा चलाना। • गवाहों को सुनना। • गवाहों के बयान दर्ज करना। • सबूत दर्ज करना। • फैसला सुनाना। • यह तय करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे। • फैसला लिखना।

निष्पक्ष सुनवाई एवं न्याय के लिए यह आवश्यक है कि चारों प्रकार के कार्य अलग - अलग लोगों या संस्थाओं द्वारा किए जाने चाहिए। यदि सभी कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे तो अभियोगी को न्याय नहीं मिल पाएगा। अपराधिक न्याय से संबंधित चारों प्रकार के कार्य अलग - अलग लोगों द्वारा किए जाने चाहिए।